भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
अभिगम सेवा स्कंध
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 12/04/2022

सं. 16-3/2011/ए.एस-III/खण्ड-II/301/04

सेवा में,

सभी अभिगम सेवा प्रदाता

विषय- स्पेशल ओपरेशंस ग्रुप राजस्थान, जयपुर को लघु कोड '155249' आवंटित करने के संबंध में।

संगठित गैंग और माफिया के विषय में जनसाधारण को जागरूक करने और सूचित करने के लिए स्पेशल ओपरेशंस ग्रुप, राजस्थान को लघु कोड '155249' आवंटित किया गया है जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) श्रेणी-I: सेवा (अर्थात सभी अभिगम प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अनिवार्य सेवा)
(ii) अभिगम्यता: राज्य सीमा में प्रतिबंधित।
(iii) मीटर सेवा: (दूरसंचार विभाग के निर्देश के अनुपालन में जिस एजेंसी को यह लघु कोड आवंटित किया गया है, उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु अलग से जारी सूचना के आधार पर इसे कॉल्ड पार्टी पेज़ अथवा कॉलिंग पार्टी पेज़ माना जा सकता है)

2. सभी से अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करें।
3. इसे उप महानिदेशक (ए.एस.) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

राजेश सोनी 12/4/22
(आर. के. सोनी)
निदेशक (ए.एस-III)

निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित, यदि कोई हो:

1. सचिव, ट्राई।
2. मुख्य प्रबंध निदेशक, एम.टी.एन.एल./ मुख्य प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल।
3. श्री कैलाश चंद मीणा, अधिशासी सचिव, गृह, राजस्थान सरकार, गृह (समूह-2) विभाग, जयपुर को दिनांक 30.03.2022 के पत्र सं. एफ 23 (के) (15) गृह-2/2019 के संदर्भ में अनुरोध है कि वे हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोडल अधिकारी वरिष्ठ उप महानिदेशक (एल.एस.ए.) यूनिट, संबंधित राज्यों, संघ-राज्य क्षेत्रों से संपर्क कर सकते हैं।
4. निदेशक (पी एंड एन), डीजीटी (मुख्यालय), (संबंधित एल.एस.ए. फील्ड यूनिट से जब भी संपर्क किया जाए, हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए संबंधित नोडल अधिकारी और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के साथ समन्वय करने के लिए कहा जाए।
5. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक प्रति।